रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24052021-227149 CG-DL-E-24052021-227149

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1865] नई दिल्ली, सोमवार, मई 24, 2021/ज्येष्ठ 3, 1943 No. 1865] NEW DELHI, MONDAY, MAY 24, 2021/JYAISTHA 3, 1943

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2021

का.आ. 1992(अ).—नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा-3 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 18 जून, 2020 की अधिसूचना के अधिक्रमण में, केंद्र सरकार एतदद्वारा सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनने वाली नैदानिक राष्ट्रीय स्थापन परिषद् की स्थापना करती है, अर्थात:-

1	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, पदेन -	अध्यक्ष
2	भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा चयनित एक प्रतिनिधि	सदस्य
3	राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा चयनित एक प्रतिनिधि	सदस्य
4	भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा चयनित एक प्रतिनिधि	सदस्य
5	भारतीय फार्मेसी परिषद द्वारा चयनित एक प्रतिनिधि	सदस्य
6	आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि	सदस्य
7	सिद्ध चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वालाभारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि	सदस्य

2789 GI/2021 (1)

8	यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाला भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि	सदस्य
9	केंद्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि	सदस्य
10	भारतीय चिकित्सा संगम केंद्रीय परिषद् द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि	सदस्य
11	भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि	सदस्य
12	राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 के अधीनगठित क्षेत्रीय परिषदों से 2	सदस्य
	प्रतिनिधि	
13	पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद से 2	सदस्य
	प्रतिनिधि	
14	पराचिकित्सा प्रणाली के क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जिसमें वह प्रणाली शामिल नही है जिसका	सदस्य
	नैदानिक स्थापन अधिनियम, 2010 के खंड-2 (ख) के अंतर्गत प्रतिनिधित्व है	
15	राष्ट्रीय स्तर के उपभोक्ता समूह से दो प्रतिनीधि, केंद्र सरकार द्वारा नामित	सदस्य
16	आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी से संबंधित भारतीय चिकित्सा प्रणाली एसोसिएशन से एक	सदस्य
	प्रतिनिधि	
17	महासचिव, भारतीय गुणवत्ता परिषद, पदेन-	सदस्य

[फा. सं. ए.12034/20/2019-एम.एच.।।/एम.एस]

पद्मजा सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 2021

S.O. 1992(E).—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 3 of the Clinical Establishments (Registration and Regulation Act, 2010 (23 of 2010) and in **super-session of the notification dated** the 18th June 2020, the Central Government hereby constitutes a National Council for Clinical Establishments consisting of the Chairperson and following Members, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

1	Director General of Health Service, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, <i>ex officio</i> -	Chairperson
2	One Representative elected by Dental Council of India	Member
3	One Representative elected by National Medical Commission	Member
4	One Representative elected by Indian Nursing Council	Member
5	One Representative elected by Pharmacy Council of India	Member
6	One Representative elected by Central Council of Indian Medicines representing the Ayurveda system of medicine	Member
7	One Representative elected by Central Council of Indian Medicine representing the Siddha system of medicine	Member

	·	
8	One Representative elected by Central Council of Indian Medicines representing the Unani system of medicine	Member
9	One Representative elected by Central Council of Homoeopathy	Member
10	One Representative elected by Central Council of Indian Medical Association	Member
11	One Representative elected by Bureau of the Indian Standards	Member
12	Two Representatives from Zonal Council set up under section 15 of the state Reorganization Act, 1956	Member
13	Two representatives from the North Eastern Council set up under section 3 of the North Eastern Council Act, 1971.	Member
14	One representative from the line of Paramedical Systems excluding systems that have been given representation under clause 2(b) of the Clinical Establishments Act, 2010 Member	Member
15	Two Representatives from National Level Consumer Group, to be nominated by Central Government.	Member
16	One Representative from Associations of Indian Systems of Medicine relating to Ayurveda, Siddha and Unani	Member
17	Secretary-General of the Quality Council of India, ex officio-	Member

[F. No. A.12034/20/2019-MH.II/MS] PADMAJA SINGH, Jt. Secy.